UPSD040128452026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या –761/2026

गवेन्द्र शर्मा –बनाम– रामकेश उर्फ झगराहे

थाना–मोहाना, जनपद–सिद्धार्थनगर

दिनांक–11.08.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) BNSS

पत्रावली पेश हुई। विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने के बावत आवेदक गवेन्द्र शर्मा के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3)BNSS पर सुना ।

संक्षेप में आवेदक का कथन है कि 2. यह कि प्रार्थी ने दिनांक 05.06.2023 को 42 कुन्तल 60 कि०ग्रा० गेहूँ मु० 1,27,800/– रुपये में विपक्षी रामकेश उर्फ झगराहे पुत्र रुदल ग्राम भुजौली, टोला लीलाडीह, थाना मोहाना सिद्धार्थनगर के हाथ विक्रय किया था जिसमें से मु0 37,000/–रुपये करीब एक माह बाद विपक्षी ने दिया शेष मु० 90,800/–रुपये विपक्षी से कई बार मांगा, पंचायत कराया जिसपर समय से पैसा न मिलने पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस चौकी प्रभारी ककरहवा को दिया। दिनांक 14.06.2024 को सुलहनामा लिखा गया जिसमें 90,800/–रुपये में से मु० 5000/–रुपये छूट प्रदान करते हुए मु० 85,800/–रुपये दिनांक 01.10.2024 से 15.10.2024 तक विपक्षी द्वारा दिये जाने के लिए अनिवार्य किया गया, अन्यथा की स्थिति में प्रार्थी को कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकार प्राप्त होने की बात लिखी गयी। सब कुछ जानते हुए विपक्षी जब पैसा नहीं दिया तब पुनः प्रार्थी ने दिनांक 05.06.2025 को तथा 09.06.2025 व 16.06.2025 को प्रार्थना पत्र श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय मोहाना को सम्बोधित तथा आनलाइन शिकायत संख्या 40018425010258 किया जिसकी रिपोर्ट में थाना मुकामी द्वारा विपक्षी को बचाने हेतु तथा पुलिस अपने कार्य से इतराते हुए निक्षेपित कर दिया। स्थानीय पुलिस का कथन है कि, पुलिस पैसा नहीं दिलवायेगी पुलिस का काम पैसा दिलवाना नहीं है जबकि एक बार 40,000/– रुपये वही पुलिस प्रार्थी को विपक्षी से दिलवा रही थी।विपक्षी स्थानीय पुलिस के साथ दिनांक 25.07.2025 को समय करीब 2:30 बजे दिन में बभनी चौराहे पर गया तथा प्रार्थी की दुकान के सामने मोटरसाइकिल पर बैठे हुए मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए कह रहा था कि किसी मादरचोद का मैं न तो पैसा बकाया हूँ और न ही एक रुपया दूंगा उसके साथ बैठी पुलिस उसका सपोर्ट कर रही थी। प्रार्थी ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस विपक्षी को दिया जिससे छुब्ध हो कर प्रार्थी को पुनः मां बहन की भद्दी–भद्दी गाली व जान से मार डालने की धमकी तथा रुपया हड़प लेने की धमकी विपक्षी ने दिया। प्रार्थी/आवेदक का प्रथम प्रार्थना पत्र है इसके पहले इस तथ्य के बाबत न तो कोई प्रार्थना पत्र कहीं स मामला स्वतः संज्ञान लेकर मामला थाने पर दर्ज करवाकर निष्पक्ष विवेचना करने हेतु आवेदन किया जा रहा है तथा मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है जिसे परिवाद दाखिल करके सिद्ध करने में प्रार्थी असमर्थ है। इसलिए सर्वप्रथम थाने को तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है किन्तु कहीं से कोई कार्यवाही नहीं हुई तब विवश होकर श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 (3) भा०ना०सु०सं० दाखिल किया जा रहा है। न्यायाहित में विपक्षी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष मोहाना को आदेशित किया जाना आवश्यक एवं न्यासंगत है।

आवेदक का प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है तथा आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को प्रेषित प्रार्थना–पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, लीगल नोटिस व रजिस्ट्री रसीद,आई०जी०आर०डेसबोर्ड दि० 06.07.25 तक की स्थिति, थानाध्यक्ष मोहाना को प्रेषित पत्रों की छाया प्रति, जन सूचना शिकायत प्रपत्र, चौकी प्रभारी

ककरहवा को प्रेषित पत्र की छाया प्रति, ब्लक एण्ड व्हाइट फोटो, सामान्य दैनिक विवरण, जनता द्वारा दिया गया शिकायती प्रार्थना पत्र, सुलहनामा की छाया प्रति एवं आधार कार्ड की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष के अनुसार उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई अभियोज दर्ज नहीं है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी व गवाहान को घटना की बखूबी जानकारी है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नम्बर– 9297/07 सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2008(1)A.C.R. पेज 170, में प्रतिपादित विधि व्यवस्था एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राम बाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ०प्र० सरकार 2001(2) A.C.R. 1350(F.B.),** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण को परिवाद के रूप में संस्थित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) भा०ना०सु०सं० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 BNSS दिनांक 11.09.2026 को पेश हो।

दिनांक–11.08.2026

(धम्म कुमार सिद्धार्थ)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 3504